

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप बन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति जनाम्-चौर्हाई गढ़वाल की अन्तर्गत राज्य। इसे दुरीरुक्ति तेज़ से क्रान्ति विचार द्वारा हट दी गढ़वाल तक गया भाग के निमान छह।

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड

(ii) जिला - चौर्हाई गढ़वाल

(iii) जिला बन प्रभाग गढ़वाल बन प्रभाग पौड़ी.

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि का क्षेत्र 108 हेक्टर

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई बन भूमि की विधिक प्राप्तिः उत्तराखण्ड बन भूमि = 0.180 हेक्टर, बन प्रभाग भूमि = 0.900 हेक्टर)

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित बन भूमि में उपलब्ध बनस्पति का व्यौरा:

(i) बन का प्रकार राजखण्ड प्रभाग पौड़ी

(ii) बनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना पाँचव्य - 1 के ऊपरान्त चौड़ा बोल स्थानीय

प्रजातिवार अन्तर्गत भूमि क्षेत्र बन भूमि = 146 हेक्टर प्रभाग व्यौरा

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली बन भूमि की स्थलाकृति और हीणता पर समिति टिप्पणी जून चैक्सान के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र द्वारा दृष्टिगत दृष्टिकोण के अनुपान आशंका निमान के विपरीत

20. बन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि की लगभग दूरी दृष्टिकोण के अनुपान आशंका निमान के विपरीत

21. बन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि की महत्त्व :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि के लगभग विद्यमान बन्यजीव का व्यौरा : कुछ बन्य जीव विधान हैं।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अन्धारण जीव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडॉर बन्यजीव अतिर्यास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बीच और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य बन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अन्धारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बीच और मुख्य बन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, बन्य जीव अन्धारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्तरावास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बीच और मुख्य बन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

'v) क्या क्षेत्र में बनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बीच

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सकाम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें)

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित बन भूमि की विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित बन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अतिरिक्त न्यूनतम है। हाँ

(ii) यदि नहीं तो बन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिकमण के बीच :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित बन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पठे और पदनाम सहित अतिकमण के बीच और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अव भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के बीच :

(i) क्षतिपूरक बनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई बन भूमि की विधिक प्राप्तिः उत्तराखण्ड बन भूमि 2.160 हेक्टर विधिक प्राप्ति

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संस्था क्षेत्र और क्षतिपूरक बनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर बन क्षेत्र या अवनत बन जैसे व्यौरे हैं। उत्तराखण्ड नं 1506 अ. उत्तराखण्ड बन भूमि 2.160 हेक्टर

(iii) क्षतिपूरक बनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर बन सीमाएं संलग्न हैं। हाँ

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों का वर्णन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के द्वारा संलग्न हैं
 हाँ / नहीं।

(v) क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹ ३८९७६८.००

(vi) क्या क्षतिपूरक बनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान फिर गए होते की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ / नहीं)।

26. बनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप बन संरक्षक की स्थान निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप बन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान: पट्टी (गोवाल)

तारीख: 14-09-2018

जनरिक में सेच्युरिटी जारी

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

(रमेश चन्द्र)
शासकीय बनाधिकारी
गोवाल बन प्रभाग
वोडी